

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या— DoH/CS/52/2026— पी० पी० एन० - 77 - /क०, पटना, दिनांक-07.09, 2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक
रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय :

केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय बाँस मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 238.83 लाख (दो करोड़ अड़तीस लाख तेरासी हजार) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय बाँस मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 238.83 लाख (दो करोड़ अड़तीस लाख तेरासी हजार) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के खेत में बाँस की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इससे वैसी भूमि का उपयोग हो पाएगा जहाँ अन्य कोई फसल नहीं हो पाता है एवं इससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी।

3. योजना का भौतिक आकार अनुसूची-1 एवं II के अनुरूप कुल 238.83 लाख (दो करोड़ अड़तीस लाख तेरासी हजार) रुपये मात्र की है। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।

4. यह एक केन्द्र प्रायोजित (राष्ट्रीय बाँस मिशन) योजना है। इसके अन्तर्गत निम्नांकित घटकों का कार्यान्वयन किया जायेगा :-

क. Plantation (Using Planting material from the Accredited/Approved Nurseries) Private Sector

इस घटक का कार्यान्वयन राज्य के 21 जिलों यथा - अररिया, बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सिवान, सुपौल, प० चम्पारण एवं वैशाली में किया जायेगा। इस घटक हेतु इकाई लागत 0.72 (बहत्तर हजार) लाख प्रति हे० निर्धारित की गई है। इसके तहत किसानों को न्यूनतम 0.04 हे० (10 डी०) से अधिकतम 0.2 हे० (50 डी०) रकवा में बाँस की खेती हेतु प्रति हे० निर्धारित इकाई लागत 0.72 (बहत्तर हजार) लाख रुपये का पचास प्रतिशत

अधिकतम 0.36 लाख (छत्तीस हजार) रुपये अथवा वास्तविक इकाई लागत का 50 प्रतिशत दोनों में से जो कम हो की दर से सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिया जायेगा।

ख. Training of Field functionaries

इस घटक के अन्तर्गत योजना से संबंधित क्षेत्रीय प्रसार कर्मियों, (प्रक्षेत्र प्रभारी/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/ किसान सलाहकार), का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। निर्दिष्ट राशि को वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु राशि का व्यय अनुसूची-II के आलोक में किया जायेगा।

ग. Training of Farmers/Artisans

इस घटक अन्तर्गत बाँस से संबंधित हस्तशिल्पकार, कारीगर, उद्यमियों, आदि को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु राशि का व्यय अनुसूची-II के आलोक में किया जायेगा।

घ. Project Management Cost

इस मद का उपयोग योजना के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यालय से व्यय किया जायेगा।

5. राष्ट्रीय बाँस मिशन योजना के क्रियान्वयन में प्राइवेट सेक्टर में कुल 500 हे० रकवा में बाँस लगाया जाना है, जिसमें प्रति हे० 12 मानव दिवस रोजगार सृजन होने की संभावना है। इस प्रकार कुल 6000 मानव दिवस रोजगार सृजन संभावित है।

6. भारत सरकार के पत्रांक File No. 03/04/2026-KY(FTS:186532), Dt. 22.04.2026 के द्वारा कुल-355.21 लाख रुपये की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है। जिसके तहत केन्द्रांश की राशि 213.13 लाख रुपये एवं राज्यांश की राशि 142.08 लाख रुपये है। वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु राष्ट्रीय बाँस मिशन योजना के लिए कुल 3.68 करोड़ रुपये का उद्ध्यय संसूचित किया गया है। उक्त उद्ध्यय के विरुद्ध State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक 27.02.2026 को कुल 3.68 करोड़ रुपये का 125% कुल 4.60 करोड़ रुपये की कार्य योजना पर अनुशंसा प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र संख्या-16 (BR 155) दिनांक-23.04.2026 द्वारा राष्ट्रीय बाँस मिशन योजना हेतु कुल केन्द्रांश मद में Mother Sanction प्रथम किस्त के रूप में कुल 85.25 लाख रुपये (सामान्य श्रेणी के लिए 70.59 लाख रुपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 13.55 लाख रुपये एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए कुल 1.11 लाख रुपये) की राशि विमुक्त की गई है।

7. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के आलोक में कार्यान्वयन अनुदेश तैयार कर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत अलग से निर्गत किया जायेगा, जिसके आलोक में योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

8. योजना में स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची-II के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से CFMS 2.0 लिंकड SNA Sparsh के माध्यम से किया जायेगा।

9. योजनान्तर्गत आय-व्यय की लेखा संधारण में PFMS के EAT Module का उपयोग किया जायेगा।

10. राशि व्यय के पश्चात् उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना एवं कृषि विभाग को निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

11. जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व तथा बाद, कार्य स्थलों की दो अलग-अलग, जियोटैग फोटोग्राफ एवं स्थल जाँच प्रमाण-पत्र संबंधित जिला के जिला उद्यान कार्यालय में संधारित किया जायेगा। कृषि मैपर App पर प्रगति की अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

12. प्रावधानित बजट के आलोक में सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 82.80 प्रतिशत, 15.90 प्रतिशत एवं 1.3 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि लाभुक में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

13. योजना कार्यान्वयन के क्रम में प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन यथावश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा।

14. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 2561 दिनांक-12.04.1998 एवं पत्रांक-410 दिनांक- 12.06.2025 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

15. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे। निदेशक, उद्यान समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन तथा प्रगति की स्वयं समीक्षा करेंगे।

16. वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:-

(राशि लाख रुपये में)		
बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्यशीर्ष 2401- फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें, उपशीर्ष 0226-राष्ट्रीय बांस मिशन (कृषोन्नति योजना) विपत्र कोड -01- 2401001190226, विषय शीर्ष -0226-31-06-सहायक अनुदान-गैर वेतन पी०एफ०एम०एस० कोड-4138	197.61	197.76
मुख्यशीर्ष 2401- फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0262-राष्ट्रीय बांस मिशन (कृषोन्नति योजना) विपत्र कोड -01-2401007890262, विषय शीर्ष 0262-31-06- सहायक अनुदान-गैर वेतन पी०एफ०एम०एस० कोड-4138	38.24	37.97

मुख्यशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 796-अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष 0275- राष्ट्रीय बांस मिशन (कृषोन्नति योजना) विपत्र कोड-01-2401007960275, विषय शीर्ष 0275-31- 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन पी०एफ०एम०एस० कोड-4138	3.15	3.10
योग	239.00	238.83
नोट:- उपरोक्त बजट शीर्ष के सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में अवशेष राशि स्वीकृत राशि से कम है। तत्काल उपलब्ध राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जायेगा। शेष राशि का अगले अनुपूरक आगणन में बजट उपबंध प्राप्ति पश्चात् ही आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा तथा निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।		

17. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 तथा पत्रांक-201 दिनांक-13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-10.08.2026 को आयोजित बैठक में विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या-973 दिनांक-12.08.2026 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-19.08.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में योजना प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त है। उक्त के आलोक में योजना कार्यान्वयन के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या DoH/CS/52/2026 के पृ0सं0-33/टि० पर दिनांक-02.09.2026 को प्राप्त है।

18. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

19. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- DoH/CS/52/2026 के पृष्ठ संख्या-31/टि० दिनांक-25.08.2026 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या-582 दिनांक-25.08.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(कल्पना कुमारी)

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- DoH/CS/52/2026- पी०पी०एम०- 77- /कृ०, पटना, दिनांक 07/ 09 /2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- DoH/CS/52/2026- पी०पी०एम०- 77- /कृ०, पटना, दिनांक 07/ 09 /2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— DoH/CS/52/2026— पी.पी.एम० - 77 - /कृ०, पटना, दिनांक 07 / 09 / 2026
प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— DoH/CS/52/2026— पी.पी.एम० - 77 - /कृ०, पटना, दिनांक 07 / 09 / 2026
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के प्रधान आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक, उद्यान/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— DoH/CS/52/2026— पी.पी.एम० - 77 /कृ०, पटना, दिनांक 07 / 09 / 2026
प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

  

AAP under National Bamboo Mission FY 2026-27

Sl. No.	District Name	Plantation (Using Planting material from the Accredited/approved Nurseries) Private Sector (50%Subsidy)	Withing the State (Project Based)												Project Management (Upto 2.5% of allocation) (100% Govt.)		Total Financial (In lakh)
			Training of field functionaries						Training of Farmers/ Artisans								
			Phy (Ha.) Gen	Financial Target (in lakh) (Gen)	Phy (in No.) Gen	Financial Target (in lakh) (Gen)	Phy (in No.) SC	Financial Target (in lakh) (SC)	Phy (in No.) Gen	Financial Target (in lakh) (Gen)	Phy (in No.) SC	Financial Target (in lakh) (SC)	Financial Target (in lakh) Gen	Financial Target (in lakh) ST			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	ARARIA	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	180.00	1.80	0.00	0.00	11.55			
2	BANKA	20	7.20	12.00	0.12	0.00	0.00	50.00	0.50	180.00	1.80	0.00	0.00	9.62			
3	BEGUSARAI	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	180.00	1.80	0.00	0.00	11.55			
4	BHAGALPUR	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	180.00	1.80	0.00	0.00	11.55			
5	DARBHANGA	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	180.00	1.80	0.00	0.00	11.55			
6	E. CHAMPARAN	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	180.00	1.80	0.00	0.00	11.55			
7	GOPALGANJ	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	180.00	1.80	0.00	0.00	11.55			
8	JAMUI	20	7.20	12.00	0.12	0.00	0.00	50.00	0.50	180.00	1.80	0.00	0.00	9.62			
9	KATHAR	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	180.00	1.80	0.00	0.00	11.55			
10	KHAGARIA	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	180.00	1.80	0.00	0.00	11.55			
11	KISHANGANJ	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	180.00	1.80	0.00	0.00	11.55			
12	LAKHISARAI	20	7.20	12.00	0.12	0.00	0.00	50.00	0.50	180.00	1.80	0.00	0.00	9.62			
13	MADHEPURA	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	180.00	1.80	0.00	0.00	11.55			
14	MUZAFFARPUR	20	7.20	12.00	0.12	0.00	0.00	50.00	0.50	180.00	1.80	0.00	0.00	9.62			
15	PURNIA	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	180.00	1.80	0.00	0.00	11.55			
16	SAHARSA	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	180.00	1.80	0.00	0.00	11.55			
17	SAMASTIPUR	20	7.20	12.00	0.12	0.00	0.00	43.00	0.43	180.00	1.80	0.00	0.00	9.55			
18	SIWAN	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	180.00	1.80	0.00	0.00	11.55			
19	SUPAUL	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	180.00	1.80	0.00	0.00	11.55			
20	W. CHAMPARAN	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	197.00	1.97	0.00	0.00	11.72			
21	VAISHALI	25	9.00	15.00	0.15	0.00	0.00	60.00	0.60	180.00	1.80	0.00	0.00	11.55			
22	HQ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	3.10	5.83			
Total :		500	180.00	300.00	3.00	0.00	0.00	1203.00	12.03	3797.00	37.97	2.73	3.10	238.83			

(दो करोड़ अड़तीस लाख तेरासी हजार) रुपये

निदेशक उद्यान,
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।

Category wise subsidy details under National Bamboo Mission FY 2026-27

Sl. No.	DDO Name	Total (Central)	Gen	SC	ST
1	District Horticulture Officer, ARARIA	11.55	9.75	1.80	0.00
2	District Horticulture Officer, BANKA	9.62	7.82	1.80	0.00
3	District Horticulture Officer, BEGUSARAI	11.55	9.75	1.80	0.00
4	District Horticulture Officer, BHAGALPUR	11.55	9.75	1.80	0.00
5	District Horticulture Officer, DARBHANGA	11.55	9.75	1.80	0.00
6	District Horticulture Officer, E. CHAMPARAN	11.55	9.75	1.80	0.00
7	District Horticulture Officer, GOPALGANJ	11.55	9.75	1.80	0.00
8	District Horticulture Officer, JAMUI	9.62	7.82	1.80	0.00
9	District Horticulture Officer, KATIHAR	11.55	9.75	1.80	0.00
10	District Horticulture Officer, KHAGARIA	11.55	9.75	1.80	0.00
11	District Horticulture Officer, KISHANGANJ	11.55	9.75	1.80	0.00
12	District Horticulture Officer, LAKHISARAI	9.62	7.82	1.80	0.00
13	District Horticulture Officer, MADHEPURA	11.55	9.75	1.80	0.00
14	District Horticulture Officer, MUZAFFARPUR	9.62	7.82	1.80	0.00
15	District Horticulture Officer, PURNIA	11.55	9.75	1.80	0.00
16	District Horticulture Officer, SAHARSA	11.55	9.75	1.80	0.00
17	District Horticulture Officer, SAMASTIPUR	9.55	7.75	1.80	0.00
18	District Horticulture Officer, SIWAN	11.55	9.75	1.80	0.00
19	District Horticulture Officer, SUPAUL	11.55	9.75	1.80	0.00
20	District Horticulture Officer, W. CHAMPARAN	11.72	9.75	1.97	0.00
21	District Horticulture Officer, VAISHALI	11.55	9.75	1.80	0.00
22	HQ	5.83	2.73	0.00	3.10
Total :		238.83	197.7600	37.9700	3.1000

(दो करोड़ अड़तीस लाख तेरासी हजार) रुपये

निदेशक उद्यान,

उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।